



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012021-224276
CG-DL-E-07012021-224276

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2021/पौष 17, 1942

No. 61]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2021/PAUSHA 17, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2021

का.आ. 62(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाता है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले में सलारपुर रेलवे स्टेशन के निकट प्रस्तावित फ्रेट टर्मिनल के निर्माण हेतु अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने में अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रभारी भूमि अर्जन अधिकारी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई ओदश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले में प्रस्तावित सलारपुर रेलवे स्टेशन पर फ्रेट टर्मिनल के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली अर्जनाधीन भूमि की संरचना सहित या संरचना रहित संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	सम्पूर्ण/आंशिक	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अयोध्या	सोहावल	(1) हरीपुर जलालाबाद	385	आंशिक	0.1026
				386	आंशिक	0.0019
				392	आंशिक	0.0901
				393	आंशिक	0.0272
				394	आंशिक	0.0385
				396	आंशिक	0.0660
				397	आंशिक	0.0160
				402	आंशिक	0.0936
				403	आंशिक	0.1140
				404	आंशिक	0.0500
				405	आंशिक	0.0005
				406	आंशिक	0.0008
				416	आंशिक	0.0021
				417	आंशिक	0.1760
				417/ 1533	आंशिक	0.0634
				418	आंशिक	0.0962
				419	सम्पूर्ण	0.0050
				420	आंशिक	0.0067
				421	सम्पूर्ण	0.1290
				422	सम्पूर्ण	0.0680
				423	आंशिक	0.1348
				437	आंशिक	0.0600
				438	सम्पूर्ण	0.0250
				योग		1.3674
			(2) रायपुर	5	आंशिक	0.0928
				6	सम्पूर्ण	0.0130
				7	आंशिक	0.0200
				8	आंशिक	0.0690
				9	सम्पूर्ण	0.0310
				12	आंशिक	0.0390
				13	आंशिक	0.0852
				19	आंशिक	0.0420
				20	आंशिक	0.0416
				21	आंशिक	0.0605

				22	आंशिक	0.0503
				23	आंशिक	0.1170
				25	आंशिक	0.0008
				26	आंशिक	0.0108
				27	आंशिक	0.0704
				योग		0.7434
			(3) कोट सराय	496	आंशिक	0.0567
				497	आंशिक	0.0196
				527	सम्पूर्ण	0.1490
				528	सम्पूर्ण	0.1270
				529	आंशिक	0.2200
				530	आंशिक	0.1680
				531	आंशिक	0.2128
				532	आंशिक	0.2088
				533	आंशिक	0.0948
				534	सम्पूर्ण	0.1080
				535	आंशिक	0.0005
				543	आंशिक	0.0416
				544	आंशिक	0.1062
				604	आंशिक	0.0352
				607	आंशिक	0.0020
				609	आंशिक	0.0192
				610	आंशिक	0.0028
				611	सम्पूर्ण	0.0770
				612	आंशिक	0.0090
				613	आंशिक	0.1320
				614	आंशिक	0.1380
				615	सम्पूर्ण	0.1420
				616	सम्पूर्ण	0.1420
				617	सम्पूर्ण	0.0090
				618	सम्पूर्ण	0.1330
				619	आंशिक	0.0060
				620	सम्पूर्ण	0.0640
				621	सम्पूर्ण	0.0640
				622	सम्पूर्ण	0.0970
				623	सम्पूर्ण	0.0960
				624	आंशिक	0.0672
				625	आंशिक	0.0064
				626	सम्पूर्ण	0.0540

				627	सम्पूर्ण	0.0540
				628	आंशिक	0.0112
				629	आंशिक	0.1792
				630	सम्पूर्ण	0.2270
				631	आंशिक	0.0022
				644	आंशिक	0.0002
				645	आंशिक	0.0004
				669	आंशिक	0.2704
				670	आंशिक	0.3360
				671	आंशिक	0.0070
				672	सम्पूर्ण	0.0240
				673	सम्पूर्ण	0.0240
				674	आंशिक	0.0550
				675	आंशिक	0.1848
				667	आंशिक	0.0112
				677	आंशिक	0.0213
				709	आंशिक	0.1354
				710	आंशिक	0.0128
				711	आंशिक	0.0108
				712	आंशिक	0.0005
				713	आंशिक	0.0072
				714	आंशिक	0.0112
				योग		4.3946
			(4) घाटमपुर	110	आंशिक	0.0288
				111	सम्पूर्ण	0.1150
				112	सम्पूर्ण	0.1380
				113	सम्पूर्ण	0.1360
				114	आंशिक	0.7004
				102	आंशिक	0.2745
				115	आंशिक	0.0560
				116	आंशिक	0.0480
				117	सम्पूर्ण	0.0680
				118	सम्पूर्ण	0.0940
				119	सम्पूर्ण	0.1020
				120	सम्पूर्ण	0.1720
				121	आंशिक	0.1113
				131	आंशिक	0.0016
				132	आंशिक	0.0480
				133	आंशिक	0.0994

				134	आंशिक	0.0176
				135	आंशिक	0.0060
				136	आंशिक	0.0400
				137	आंशिक	0.0240
				139	आंशिक	0.0135
				140	आंशिक	0.1428
				141	सम्पूर्ण	0.0940
				142	आंशिक	0.5086
				143	सम्पूर्ण	0.3260
				144	आंशिक	0.1800
				145	आंशिक	0.2184
				149	आंशिक	0.0740
				150	सम्पूर्ण	0.1240
				151	आंशिक	0.0125
				152	आंशिक	0.1400
				157	आंशिक	0.1352
				158	सम्पूर्ण	0.0890
				159	आंशिक	0.2760
				175	आंशिक	0.0846
				176	सम्पूर्ण	0.2090
				177	सम्पूर्ण	0.2050
				178	सम्पूर्ण	0.0400
				179	सम्पूर्ण	0.0380
				180	सम्पूर्ण	0.0720
				181	सम्पूर्ण	0.0480
				योग		5.3112
				कुल योग		11.8166

[फा. सं. 101-W/115/W.Spl./Estt./Pt. II]

मनोज गर्ग, मुख्य इंजीनियर/नि./पूर्व

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th January, 2021

S.O. 62(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for construction of Freight terminal near Salarpur Railway Station in the district of Ayodhya, in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, In charge Land Acquisition officer, Ayodhya, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed for construction of Freight terminal near Salarpur Railway Station in District Ayodhya in the State of Uttar Pradesh.

Sl No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Plot No.	Affected Plot (Full/Part)	Affected Area (Hectare)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ayodhya	Sohawal	(1) Haripur Jalalabad	385	Part	0.1026
				386	Part	0.0019
				392	Part	0.0901
				393	Part	0.0272
				394	Part	0.0385
				396	Part	0.0660
				397	Part	0.0160
				402	Part	0.0936
				403	Part	0.1140
				404	Part	0.0500
				405	Part	0.0005
				406	Part	0.0008
				416	Part	0.0021
				417	Part	0.1760
				417/ 1533	Part	0.0634
				418	Part	0.0962
				419	Full	0.0050
				420	Part	0.0067
				421	Full	0.1290
				422	Full	0.0680
				423	Part	0.1348
				437	Part	0.0600
				438	Full	0.0250
				Total		1.3674
			(2) Raipur	5	Part	0.0928
				6	Full	0.0130
				7	Part	0.0200

				8	Part	0.0690
				9	Full	0.0310
				12	Part	0.0390
				13	Part	0.0852
				19	Part	0.0420
				20	Part	0.0416
				21	Part	0.0605
				22	Part	0.0503
				23	Part	0.1170
				25	Part	0.0008
				26	Part	0.0108
				27	Part	0.0704
				Total		0.7434
			(3) Kot Sarai	496	Part	0.0567
				497	Part	0.0196
				527	Full	0.1490
				528	Full	0.1270
				529	Part	0.2200
				530	Part	0.1680
				531	Part	0.2128
				532	Part	0.2088
				533	Part	0.0948
				534	Full	0.1080
				535	Part	0.0005
				543	Part	0.0416
				544	Part	0.1062
				604	Part	0.0352
				607	Part	0.0020
				609	Part	0.0192
				610	Part	0.0028
				611	Full	0.0770
				612	Part	0.0090
				613	Part	0.1320
				614	Part	0.1380
				615	Full	0.1420
				616	Full	0.1420
				617	Full	0.0090
				618	Full	0.1330
				619	Part	0.0060
				620	Full	0.0640
				621	Full	0.0640
				622	Full	0.0970
				623	Full	0.0960
				624	Part	0.0672

				625	Part	0.0064
				626	Full	0.0540
				627	Full	0.0540
				628	Part	0.0112
				629	Part	0.1792
				630	Full	0.2270
				631	Part	0.0022
				644	Part	0.0002
				645	Part	0.0004
				669	Part	0.2704
				670	Part	0.3360
				671	Part	0.0070
				672	Full	0.0240
				673	Full	0.0240
				674	Part	0.0550
				675	Part	0.1848
				667	Part	0.0112
				677	Part	0.0213
				709	Part	0.1354
				710	Part	0.0128
				711	Part	0.0108
				712	Part	0.0005
				713	Part	0.0072
				714	Part	0.0112
				Total		4.3946
			(4) Ghatampur	110	Part	0.0288
				111	Full	0.1150
				112	Full	0.1380
				113	Full	0.1360
				114	Part	0.7004
				102	Part	0.2745
				115	Part	0.0560
				116	Part	0.0480
				117	Full	0.0680
				118	Full	0.0940
				119	Full	0.1020
				120	Full	0.1720
				121	Part	0.1113
				131	Part	0.0016
				132	Part	0.0480
				133	Part	0.0994
				134	Part	0.0176
				135	Part	0.0060
				136	Part	0.0400

				137	Part	0.0240
				139	Part	0.0135
				140	Part	0.1428
				141	Full	0.0940
				142	Part	0.5086
				143	Full	0.3260
				144	Part	0.1800
				145	Part	0.2184
				149	Part	0.0740
				150	Full	0.1240
				151	Part	0.0125
				152	Part	0.1400
				157	Part	0.1352
				158	Full	0.0890
				159	Part	0.2760
				175	Part	0.0846
				176	Full	0.2090
				177	Full	0.2050
				178	Full	0.0400
				179	Full	0.0380
				180	Full	0.0720
				181	Full	0.0480
				Total		5.3112
				Grand Total		11.8166

[F. No. 101-W/115/W.Spl./Estt./Pt. II]

MANOJ GARG, Chief Engineer/Con./East